

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर

क्र/न.प्र./2020/ 40
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/03/2020

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम, छ0ग0।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छ0ग0।

विषय :- नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अतिरिक्त उपाय।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि, निकाय में, व्यक्तिगत कार्यों से आने वाले नागरिकों को इस हेतु निरूत्साहित किया जाये।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में, शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि, निकाय द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञाओं/परमिट/लायसेंस इत्यादि की समय-सीमा समाप्त होने के पूर्व, नवीनीकरण कराना आवश्यक हो तो (न्यायालयीन प्रकरण छोड़कर) समय-सीमा में 01 माह की वृद्धि किये जाने हेतु निकाय स्तर पर, आदेश जारी करें एवं इसका प्रचार-प्रसार किया जावे। न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन किया जावे।

कृपया आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी तत्काल संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करें।


(अलरमेलमंगई डी.)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र/न.प्र./2020/ 41
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 /03/2020

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, न.प्र.वि.वि., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, न.प्र.वि.वि. क्षे.कार्या.रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा /बस्तर।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग